प्रह्लाद राय रिचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरन

अनुसूची २१—प्रपत्र संख्या १२४।

संपत्ति-अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र, सं० 401/28/पा.प्र. आवेदन सं० ..... १९

कि श्री मनोज कुमार ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय.

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में १ में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-03 १९० से ता० 22-4-16 १९० तक तलाशी की और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।— विमुक्त

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि प्रति विशेष		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	पृष्ठ	
१	२	३	४	५	६	७	८	
मौजा तिघरा खाता नं० 171	खाता नं० 134		खसरा नं० 424					

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १। संदत्त-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बंधकों के बारे में उल्लेख हो।

२। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक ब्याज दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :— [illegible]

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर) :— 28/4/16

(पदनाम) :— लिपिक

कार्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय बारा

तारीख 28.4.16

जिला अवर निबंधक

दिनांक पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

28.4.16

टिप्पणी :— इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सर्वांश विवरण के अनुसार पाये गये हैं। और आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं अन्य संपत्तियों का संबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) का प्राविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों तथा जिन्हें विशिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगी।

(३) किन्तु, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरोसे कर्मचारी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(४) और, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा दिये गये संव्यवहारों और अवभारों के सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दिये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया। अनु० २१—प्र० सं० ११३। (दो-तीन)